न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 31/2021

1. बुधराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी बोझला तहसील भादरा। **-प्रार्थी**

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी बोझला तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा। **- अप्रार्थी**

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत

उपस्थिति : वकील श्री ताराचंद मोठसरा- **प्रार्थी**

वकील श्री कपूरचंद शर्मा- **अप्रार्थी**

दिनांक : 26.05.22

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा राखी खाता संख्या 6/4 के खसरा नं0 50 की 2.706है0, खसरा नं0 53 की 1.871है0, खसरा नं0 64 की 12.659है0 कुल किता 3 की 17.236है0 बारानी खातेदारी व रोही मौजा बोझला की खाता सं0 21/5 के खसरा नं0 139 की 4.135है0, खसरा नं0 296 की 1.796है0 कुल खसरा 2 की 5.931है0 बारानी कृषि भूमि प्रार्थी, व अप्रार्थी की संयुक्त खाते की कृषि भूमि है।

उक्त वर्णित वादभूमि में प्रार्थी, प्रार्थी के भाई जगदीश व प्रार्थी की माता तुलछी के नाम 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी की माता तुलछी का देहान्त हो गया है जिस पर उक्त 1/4 हिस्सा भूमि प्रार्थी व प्रार्थी के भाई जगदीश को वहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में प्राप्त हो गई परन्तु तुलछी के नाम दर्ज भूमि प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाई जगदीश के नाम अभी विरासतन दर्ज नहीं हो पाई है। वादभूमि में प्रार्थी, प्रार्थी के भाई जगदीश व प्रार्थी की माता तुलछी के नाम 1/4 हिस्सा व अप्रार्थी सं0 1 लक्ष्मीनारायण 1/4 हिस्सा के सह खातेदार काश्तकार है। परन्तु प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 के मध्य काश्त व लगान की बावत आपस में तनाजा रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने हिस्सा की भूमि का अच्छी व मंदी के हिसाब से खाता अलग करवाना चाहता है तथा अप्रार्थी सं0 1 गैर कानूनी ढंग से जबरदस्ती बिना विभाजन करवाए अच्छी किस्म की भूमि पर जबरिया निर्माण कर रहा है तथा वादभूमि मे पुख्ता निर्माण करने व वादभूमि को बिना खाता तकशीम करवाए, बिना किस्म परिवर्तित करवाए ही खातेदारी कृषि भूमि को अकृषि कार्य में ले रहे हैं। यदि बिना विभाजन करवाये वह अच्छी किस्म की भूमि पर निर्माण कार्य तथा अकृषि कार्य कर देता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए प्रार्थी अपने हिस्सा की भूमि का अच्छी व मंदी के हिस्सा से खाता विभाजन करवा पाने व अप्रार्थी सं0 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवा पाने का कानूनी अधिकारी है कि वह खाता विभाजन होने से पूर्व वाद भूमि पर कोई पुख्ता निर्माण कार्य न करवाए तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी सं0 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादभूमि का काफी वर्षों पहले अच्छी व मंदी के हिसाब से बाहमी बंटवारा हो गया था तथा बंटवारे के अनुसार काश्त करते रहे हैं और अपनी अपनी भूमि में सुधार करते रहे हैं। जिसमे पक्षकारान के अलग अलग खेत बने हुए है तथा उनकी अलग अलग सींव डोल भी बनी हुई है। अप्रार्थी सं0 1 को अपनी खातेदारी का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने के पूर्ण अधिकार है। अप्रार्थी सं0 1 ने अक्टुबर–नवम्बर 2020 में अपने हिस्से की भूमि में अपने रिहायशी पक्की ईंट्टों की ढाणी बना ली थी इसके बाद प्रार्थी अपनी ढाणी में रिहायश करता है। अपने पशुधन वहीं रखता है। अब अप्रार्थी सं01 अपनी ढाणी के पिछे के भाग में पशुओं को रखने के लिए छप्पर कोठा बना रहा था जिसको बनाने का अधिकारी

Scanned with CamScanner

उतरदाता को है। प्रार्थी अपने हिस्से की खातेदारी भूमि के 50वें भाग तक अपना निवास आदि बनाने के लिए स्वतन्त्र है। जिसके लिए किसी प्रकार की किस्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। कानूनन सहखातेदार काश्तकार के खिलाफ किसी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा जारी करवाने के किसी भी प्रकार का अधिकारी नहीं है। अतः जवाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि रोही मौजा सखी खाता संख्या 6/4 के खसरा नं0 50 की 2.706है0, खसरा नं0 53 की 1.871है0, खसरा नं0 64 की 12.659है0 कुल कित्ता 3 की 17.236है0 बारानी खातेदारी व रोही मौजा बोझला की खाता सं0 21/5 के खसरा नं0 139 की 4.135है0, खसरा नं0 296 की 1.796है0 कुल खसरा 2 की 5.931है0 बारानी कृषि भूमि प्रार्थी, प्रार्थी के भाई जगदीश व प्रार्थी की माता तुलछी के नाम 1/4 हिस्सा खातेदारी भूमि दर्ज है जिनके साथ अप्रार्थी भी उक्त दोनों खातों में 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि को विरासतन दर्ज करवाना तथा अच्छी व मंदी के हिसाब से खाता अलग करवाना चाहता है तथा अप्रार्थी सं0 1 गैर कानूनी ढंग से जबरदस्ती बिना विभाजन करवाए अच्छी किस्म की भूमि पर पुख्ता निर्माण कार्य करवाना चाहता है व वादभूमि पर पुख्ता निर्माण कार्य यदि बिना विभाजन करवाये किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करता है तो प्रार्थी ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी का पाबन्द किया जावें कि वह बिना खाता तकसीम करवाये किसी भी प्रकार का किसी भी हिस्से पर निमार्ण कार्य ना करे। वकील प्रार्थी ने 2010(1) आरआरटी 221 नजीर पेश की। वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि वादभूमि का काफी अर्सा पूर्व में अच्छी व मंदी के हिसाब से बाहमी बंटवारा हो गया था जिसमें पक्षकारान के अलग अलग खेत बने हुये है तथा उनकी अलग अलग सींव व डोल भी बनी हुई है। अप्रार्थी जो कि वादभूमि का खातेदार काश्तकार है जिसको अपनी खातेदारी का हर प्रकार से उपयोग उपभोग आदि करने का पूर्ण अधिकार हासिल है। अप्रार्थी सं0 1 ने अक्टुबर–नवम्बर 2020 में अपने हिस्से की भूमि में अपने रिहायशी पक्की ईंटों की ढाणी बना ली थी इसके बाद प्रार्थी अपनी ढाणी में रिहायश करता है। अपने पशुधन वहीं रखता है। अब अप्रार्थी सं01 अपनी ढाणी के पिछे के भाग में पशुओं को रखने के लिए छप्पर कोठा बना रहा था जिसको बनाने का अधिकारी उतरदाता को है। प्रार्थी अपने हिस्से की खातेदारी भूमि के 50वें भाग तक अपना निवास आदि बनाने के लिए स्वतन्त्र है। जिसके लिए किसी प्रकार की किस्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। वकील अप्रार्थी ने कृषि भूमि पर सुधार हेतु नजीर पेश की जो शामिल पत्रावली है। इस प्रकार कानूनन सहखातेदार काश्तकार के खिलाफ किसी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा जारी करवाने के किसी भी प्रकार का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट खारिज फरमाया जावे।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हमने प्रार्थना पत्र प्रार्थी, जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी, उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबंदी, शपथ पत्र का अध्ययन किया। वकील अप्रार्थी ने हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

1. **प्रथम दृष्टया मामला**:–प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है चूंकि उपर्युक्त विवेचन शपथ पत्रों एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रार्थी वाद भूमि का सह खातेदार है तथा उक्त वादभूमि में अपने हिस्से अनुसार काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के साथ साथ अप्रार्थी सं0 1 भी अपने हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार है और अपनी खातेदारी का उपयोग उपभोग करता आ रहा है, अप्रार्थी को अपनी खातेदारी का हर प्रकार से उपयोग उपभोग एवं हस्तांतरण आदि करने के पूर्ण अधिकार है। चुंकि अप्रार्थी सं0 1 ने बिना खाता तकसीम करवाये अपने काश्त के हिस्से पर निर्माण कार्य किया है, प्रार्थी व अप्रार्थी के बीच राजस्व रिकार्ड के मुताबिक किसी भी प्रकार का खाता तकसीम नहीं हुआ है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के मुताबिक संयुक्त

Scanned with CamScanner

खाता की कृषि भूमि पर साझखातेदार का प्रत्येक इंच पर प्रत्येक काश्तकार का कब्जा काश्त माना जाता है। इस प्रकार बिना खाता तकसीम व नियमन के निर्माण कार्य करना अथवा भूमि की किस्म मे परिवर्तन करने से प्रार्थी को अच्छी खेती के हिसाब से नुकसान हो सकता है। लेकिन अप्रार्थी ने जो निर्माण कार्य अपने हिस्सा की कृषि भूमि में किया है वो अपनी ढाणी व रिहायसी तौर पर किया है वर्तमान मे किया गया निर्माण अप्रार्थी ने अपने पशुओं आदि के लिए किया है जो अप्रार्थी की मूलभूत आवश्कता के अंग है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा किया गया निर्माण कार्य किसी भी प्रकार से प्रार्थी को निहंग तंग परेशान करने के उदेश्य अथवा बल के आधार पर नही किया गया है। अतः प्रथम दृष्टया उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी व अप्रार्थी सं 1 के पक्ष मे आंशिक साबित होता है।

2 **सुविधा का संतुलन**– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में आदेश नहीं दिया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी व अप्रार्थी के पक्ष मे आंशिक साबित हो चुका है अप्रार्थी जो कि वादभूमि का खातेदार काश्तकार है जिसको अपनी खातेदारी का हर प्रकार से उपयोग उपभोग एवं हस्तांतरण आदि करने का पूर्ण अधिकार हासिल है। चूंकि अप्रार्थी ने अपने रिहायस के लिए ढाणी का निर्माण किया है व वर्तमान मे जो निर्माणाधीन कार्य है वो अपने पशुओं की सुविधा के लिए है, अप्रार्थी द्वारा किया गया निर्माण को रूकवाया या हटाया जाता है तो अप्रार्थी को अपने रिहायस आदि मे परेशानी का सामना करना पडेगा। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी को किसी भी प्रकार की असुविधा इस निर्माण कार्य से होना प्रतीत नहीं होता है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के विरूद्व जबकि अप्रार्थी के पक्ष मे साबित है।

3 **अपूर्णीय क्षति**– उक्त प्रार्थना पत्र के आलोक में प्रथम दृष्टया मामला आंशिक व सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष मे साबित हुए है। चुंकि प्रार्थी का उक्त वादभूमि में लगान व खाता अलग से कायम नही है यदि उक्त प्रकरण में अप्रार्थी जो कि वादभूमि का खातेदार काश्तकार है जिसको अपनी खातेदारी का हर प्रकार से उपयोग उपभोग एवं हस्तांतरण आदि करने का पूर्ण अधिकार हासिल है यदि व पुख्ता निर्माण कार्य कर अपने कब्जे के रूप में साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करता है तो विभाजन कानूनी रूप से नहीं होने पर प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी स0 1 को इस आशय के साथ पावन्द किया जाता है कि वे वाद भूमि में अपने हिस्से की काश्त पर किसी भी प्रकार का स्थाई नवनिर्माण ना करे तथा मूल वाद बुधराम बनाम लक्ष्मीनारायण प्र0सं0 169/21 में खाता तकसीम के समय किये गये अस्थाई निर्माण कार्य को कब्जा काश्त के रूप में उपयोग मे ना ले। व प्रार्थी को पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थी सं0 01 द्वारा वर्तमान में वाद भूमि पर निर्माणाधीन कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा ना डाले।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी) R.A.S.
(फास्ट ट्रैक)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner